राजस्थान सरकार

वित्त (मार्गोपाय) विभाग

क्रमांकःप.16(1)वि.मा./2020 जयपुर, दिनांक 16 अक्टूबर, 2020

अधिसूचना

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान के पत्रांक एफ.4(1)(1)/नपा/रानिआ/2020/8311 दिनांक 11.10.2020 एवं अधिसूचना क्रमांक एफ.4(1)(9)/नपा/रानिआ/2020/8436 तथा 8442 दिनांक 14.10.2020 को घोषित कार्यक्रम के अनुसार प्रथम चरण में नगर निगम जयपुर हैरिटेज, जोधपुर उत्तर एवं कोटा उत्तर नगर निगम क्षेत्रों में चुनाव दिनांक 29.10.2020 (गुरुवार) को तथा द्वितीय चरण में नगर निगम जयपुर ग्रेटर, जोधपुर दक्षिण एवं कोटा दक्षिण में दिनांक 01.11.2020 होना निर्धारित किया गया है। इस सन्दर्भ में भारत सरकार के गृह मन्त्रालय की अधिसूचना संख्या 20/25/56 पब./1 दिनांक 8 जून, 1957 के साथ पठित, परक्राम्य लिखित अधिनियम, 1881 (1881 का अधिनियम 26) की धारा 25 के स्पष्टीकरण के अधीन राजस्थान के राज्यपाल एतद्द्वारा घोषणा करते हैं कि राजस्थान की नगर निगमों के उक्त चुनाव हेतु मतदान होने की स्थिति में प्रथम चरण में नगर निगम जयपुर हैरिटेज, जोधपुर उत्तर एवं कोटा उत्तर नगर निगम क्षेत्रों में चुनाव दिनांक 29.10.2020 (गुरुवार) को तथा द्वितीय चरण में नगर निगम जयपुर ग्रेटर, जोधपुर दक्षिण एवं कोटा दक्षिण में दिनांक 01.11.2020 (रविवार) को संबंधित मतदान क्षेत्रों में स्थित कार्यालयों में परक्राम्य लिखित अधिनियम (NI Act) 1881 के तहत अवकाश रहेगा, ताकी उन क्षेत्रों के मतदाता मतदान कर सकें।

राज्यपाल की आज्ञा से

(शरद मेहरा)

निदेशक (बजट)

जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

पंजी. कार्यालयः विद्युत भवन, जनपथ, जयपुर–302005 फोन व फैक्स– 0141–2747036

website: energy.rajasthan.gov.in/jvvnl; E-mail : cpo@jvvnl.org

क्र0 जेपीडी/कार्मिक/तक0 संस्था0/प. 23(एफ)10/प्रे0 1782 दिनांकः 20-10-2020

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ, आवश्यक कार्यवाही एवं अधीनस्थ नियंत्रक अधिकारियों को प्रेषित करने हेतु प्रेषित है:–

1. संभागीय मुख्य अभियन्ता/मुख्य अभियन्ता ( ), जविविनिलि,
2. सचिव (प्रशासन), जविविनिलि, जयपुर।
3. मुख्य लेखा नियंत्रक/अति. पुलिस अधीक्षक (सतर्कता), जविविनिलि, जयपुर।
4. मुख्य लेखाधिकारी ( ), जविविनिलि, जयपुर।
5. अधीक्षण अभियन्ता ( ), जविविनिलि,
6. निजी सचिव–अध्यक्ष डिस्कॉम्स/प्रबन्ध निदेशक, जविविनिलि, जयपुर।
7. निजी सचिव–निदेशक (वित्त/तकनीकी), जविविनिलि, जयपुर।

(राकेश शर्मा)

मुख्य कार्मिक अधिकारी